राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर

क्रमांक प.2(3)(ब)(7895)आ.कृ/20857-67 दिनांक : 21/08/2020

आदेश

कृषि आयुक्तालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 12211–12480 दि0 30.07.2020 द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में टीएसपी क्षेत्र में नव–नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों के पदस्थापन हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु–3/2020 पार्ट दि0 18.05.2020 के अनुसरण में **विभाग में उपलब्ध कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों में से आवश्यकता के आधार पर प्राथमिकता वाले रिक्त पदों पर** पदस्थापन से पूर्व In Person Counseling हेतु संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) उदयपुर खण्ड उदयपुर की अध्यक्षता में निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है :–

In Person Counseling कमेटी के सदस्य/अधिकारी	दिनांक
1. श्री रविन्द्रकुमार वर्मा, उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा, उदयपुर। 2. श्री विकास कुमार चेचानी, सहा.निदे.कृषि (पौ.सं.) कार्या0 संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) खण्ड उदयपुर। 3. श्रीमती मिताली राठौड, कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कार्या0 सहायक निदेशक कृषि (वि0) गिर्वा। 4. श्रीमती पूजा भोई, सूचना सहायक, कार्या0 उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद, उदयपुर	03.09.2020

अतः आदेश क्रमांक 12211–12480 दि0 30.07.2020 द्वारा नव–नियुक्त समस्त कृषि पर्यवेक्षकों (जिन्होंने संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करदी है) को सूचित किया जाता है कि **वे विभाग द्वारा काउंसलिंग हेतु जारी की जाने वाली सूची में उनके नाम के सम्मुख अंकित निर्धारित दिनांक व समय पर "कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) उदयपुर खण्ड उदयपुर" में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।**

नव–नियुक्त कृषि पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित दिनांक व समय पर In Person Counseling में अनुपस्थित रहने की स्थिति में विभाग द्वारा शेष रहे रिक्त रहे पदों में से उनके पदस्थापन करने की कार्यवाही की जावेगी।

21.8.20

(डॉ0 ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक प.2(3)(ब)(7895)आ.कृ/20857-67 दिनांक : 21/08/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) उदयपुर खण्ड उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त दिवस इस कार्य हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध करावें।
2. उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, .../सहायक निदेशक कृषि (वि.) .... को भेजकर लेख है कि आपके कार्यालय में फिल्ड प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति दे रहे नव–नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों को काउंसलिंग हेतु विभाग द्वारा जारी की जाने वाली सूची में उनके नाम के सम्मुख अंकित निर्धारित दिनांक व समय पर In Person Counseling हेतु **"कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) उदयपुर खण्ड उदयपुर"** में भाग लेने हेतु पाबन्द करावें।
3. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, मु0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. दल के सदस्य .... को पालनार्थ।
5. समस्त नव–नियुक्त कृषि पर्यवेक्षक (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को सूचित किया जाता है कि **In Person Counseling** हेतु विभाग द्वारा पृथक से जारी की जाने वाली सूची में उनके नाम के सम्मुख अंकित निर्धारित दिनांक व समय पर **"कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) उदयपुर खण्ड उदयपुर"** में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
6. आरक्षी।

21/8

(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

Scanned with CamScanner